भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3967

17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- गुजरात में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

3967. श्री भरतभाई मनुभाई सुतारियाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार, गुजरात के अमरेली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) दिसंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, उक्त योजना के अंतर्गत उक्त निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने दावे निपटाए गए हैं;

(ग) क्या स्थानीय जोखिमों या स्थानीय आपदाओं को कवर करने के लिए इस योजना के अंतर्गत कोई अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) एवं (ख): वर्ष 2016 से कार्यान्वित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों और राज्यों दोनों के लिए स्वैच्छिक है। गुजरात राज्य ने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात, इसे कार्यान्वित नहीं किया है। इस अवधि के दौरान, गुजरात के अमरेली जिले में PMFBY के तहत 8.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया और 1,62,977 किसान आवेदनों को कुल 388.05 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया।

(ग) एवं (घ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों और क्षेत्रों के लिए बुवाई पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक फसल क्षति के विरुद्ध व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करती है। यह योजना न केवल बाढ़, जलभराव, भूस्खलन, सूखा, लू, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीट/रोग, प्राकृतिक आग और बिजली गिरने, आंधी, तुफान, चक्रवात, बवंडर आदि जैसी गैर-निवार्य प्राकृतिक आपदाओं जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण व्यापक उपज नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि स्थानीय जोखिमों (ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना और प्राकृतिक आग) के कारण खेत स्तर पर उपज नुकसान और चक्रवात, चक्रवाती/बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि तथा स्थगित बुआई के कारण कटाई पश्चात होने वाली नुकसान से भी सुरक्षा प्रदान करती है।
